5/10/19

पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित।

तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/2807 दिनांक 04.10.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्रा0 डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता ने इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक आपति की एवं निवेदन किया कि है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शिव द्वारा बिना मौका जांच अपने कार्यालय मे ही तैयार करवाया गया है। जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व प्रतिवादीगण को कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नही करता है। अतः तहसीलदार शिव को पुनः मौके पर भेजकर राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभय पक्ष को नोटिस देकर, उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण अधिवक्ता की आपति पर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है। दोनो विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते समय प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे है किन्तु विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। जिसकी ताईद दोनो विभाजन प्रस्ताव से हो रही है। प्रतिवादीगण केवल मात्र वाद को लम्बा करना चाहते है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही आया हुआ प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धोलकिया, पटवार मण्डल आकली, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 649 रकबा 164.08 बीघा किस्म बा.दो. भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :-

| क्र. स. | नाम खातेदार | ग्राम | ख.न. | रकबा | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लाछा पत्नि याकूब कौम मुसलमान सा0 तिरसिंगडी खातेदार रहन बी.सी.सी.बी. शिव | धोलकिया | 649<br>649 | 12.13<br>23.10 | बा.दो.<br>बा.दो. | केसरिया |
| | | | 02 | 36.03 | बा.दो. | |
| 2. | अब्दुल वल्द साधक बसंद दीना पि0 जीवणा अदला वल्द साधक(3.0 बीघा) अती पत्नि अमर सुमार जीवणा पि0 अमर, जाति- मुसलमान, | धोलकिया | 649<br>649 | 57.16<br>70.09 | बा.दो.<br>बा.दो. | आसमानी |

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नारायणराम वल्द जसाराम कौम कुमावत सा. थूम्बली(11.14 बीघा) सुमार जीवणा पि. अमर अती बेवा अमर (11.15 बीघा) उस्मान वल्द समधा जाति–मुसलमान, सा.देह खातेदार रहन–बसंद दीना, सुमार जीवणा व अती बेवा अमर का हिस्सा बी.सी.सी.बी. शिव | | 02 | 128.05 | बा.दो. | |

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.10.2019 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

# डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 110/2017

अन्तर्गत धारा 88,53, 188 RT Act.

| वदीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. लाछा पत्नी याकुब खां जाति–मुसलमान, नि0 तिरसींगडी तह0 व जिला बाडमेर। | | 1. अब्दुला खां पुत्र साधक<br>2. बसन्द पुत्र जीवणा<br>3. दीना पुत्र जीवणा<br>4. अदला पुत्र साधक<br>5. अती बेवा अमर<br>6. सुमार पुत्र अमर<br>7. जीवणा पुत्र अमर<br>8. उस्मान पुत्र समधा जाति–मुसलमान, नि0धोलकिया तह0 शिव<br>9. नारायणराम पुत्र जसाराम जाति–कुमावत, नि0 थुम्बली तह0 शिव.<br>10. शाखा प्रबधंक बीसीसीबी शाखा शिव<br>11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव। |

### निर्णय

वादी की ओर से श्री ब्रजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से वकील श्री चेतनराम सारण की उपस्थिति में आज तारीख 04.10.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धोलकिया, पटवार मण्डल आकली, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 649 रकबा 164.08 बीघा किस्म बा.दो. भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :–

| क्र. स. | नाम खातेदार | ग्राम | ख.न. | रकबा | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लाछा पत्नि याकूब कौम मुसलमान सा0 तिरसिंगडी खातेदार रहन बी.सी.सी.बी. शिव | धोलकिया | 649<br>649 | 12.13<br>23.10 | बा.दो.<br>बा.दो. | केसरिया |
| | | | 02 | 36.03 | बा.दो. | |
| 2. | अब्दुल वल्द साधक बसंद दीना पि0 जीवणा अदला वल्द साधक(3.0 बीघा) अती पत्नि अमर सुमार जीवणा पि0 अमर, जाति– मुसलमान, नारायणराम वल्द जसाराम कौम कुमावत सा. थूम्बली(11.14 बीघा) सुमार जीवण् पि. अमर अती बेवा अमर (11.15 बीघा) उस्मान वल्द समधा जाति–मुसलमान, सा.देह खातेदार रहन–बसंद दीना, सुमार जीवणा व अती बेवा अमर का हिस्सा बी.सी.सी.बी. शिव | धोलकिया | 649<br>649 | 57.16<br>70.09 | बा.दो.<br>बा.दो. | आसमानी |
| | | | 02 | 128.05 | बा.दो. | |

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:40:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: